अग्रवाल-खण्डेलवाल ट्रस्ट व बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी के बीच विवाद गहराया

पुलिस ने मंदिर परिसर के बाहर मौजूद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया

गंगापुर सिटी, (निसं)। शहर के मध्य स्थित बद्रीनाथ मंदिर को लेकर अग्रवाल-खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट और पुजारी रामेश्वर शर्मा के बीच बुधवार को एक बार फिर विवाद गहरा गया है। पिछले तीन वर्षों से चल रहा यह विवाद बुधवार को उस समय तीखा हो गया, जब पुलिस ने मंदिर परिसर के बाहर मौजूद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। बुधवार को समाज के लोग मंदिर पहुंचकर विवाद सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया।

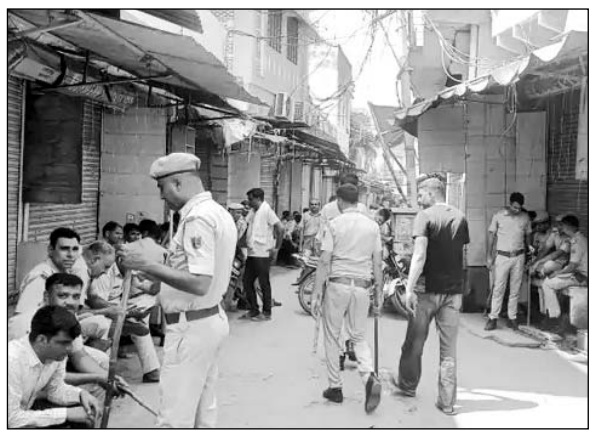

बद्रीनाथजी मंदिर के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात रहा।

आरोप है कि पुलिस के बल प्रयोग से लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते हजारों महिला-पुरुष मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। हालात बिगड़ते देख शहर का मुख्य बाजार बंद हो गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। धरने पर बैठे अग्रवाल-खण्डेलवाल समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे समाज के कई लोग चोटिल हुए हैं। पुलिस प्रशासन के विरोध में गंगापुर सिटी सहित सवाईमाधोपुर, करौली, वजीरपुर में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की और ट्रस्ट की सम्पत्ति को पुजारी से मुक्त कराकर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की। इससे पहले पुरानी अनाज मण्डी स्थित सीताराम जी कें मंदिर पर दोनो समाजों की आमसभा का आयोजन किया गया। जिसमें प्रशासन के द्वारा पुजारी को संरक्षण देने एवं अग्रवाल खण्डेलवाल ट्रस्ट अध्यक्ष की ओर से मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं करने पर आक्रोश फैल गया। समाज के जेड वन प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से आक्रोशित हो गया और सभी ने एकराय हो कर बाजार में रैली निकाल कर बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे जहां पर पहले से ही सुरक्षा के लिए लगे पुलिसकर्मियो ने सभी को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जिस पर धक्का मुक्की हो गई। वहीं पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग कर दिया।

> ■ हालात बिगड़ते देख शहर का मुख्य बाजार बंद हो गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की

पुजारी पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप :-चार दिन पहले ही ट्रस्ट पदाधिकारियों ने पुजारी रामेश्वर शर्मा पर गाली-गलौज और मारपीट के आरोप लगाए थे। समाज का कहना है कि इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

प्रशासन की सख्त निगरानी :-स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जिला अधिकारी रामकिशोर मीणा, उपखण्ड अधिकारी बृजेंद्र मीणा, एएसपी राकेश राजोरा, डीएसपी सीताराम, कोतवाली, सदर व अन्य थानों के अधिकारी और सैकडों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। एडीएम की मौजूदगी में ट्रस्ट और समाज के पदाधिकारियों के बीच बातचीत का दौर शुरू किया गया। धरने में जिलाध्यक्ष गोविन्द बरनाला, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, पूर्व उपसभापति दीपक सिंघल, अग्रवाल-खण्डेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट अध्यक्ष सहित समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। समाज की ओर से मांग की गई कि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे और न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। अग्रवाल-खंडेलवाल ट्रस्ट का दावा है कि बद्रीनाथ मंदिर समाज की संपत्ति है, जबकि पुजारी रामेश्वर शर्मा इसे सर्वसमाज का मंदिर बताते हैं। शर्मा परिवार कई पीढ़ियों से यहां पूजा-अर्चना और देखरेख करता आया है। पहले यह परिवार वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, लेकिन ट्रस्ट ने जब कर्मचारियों को बदलने का निर्णय लिया तो पुजारी परिवार ने मंदिर खाली करने से इनकार कर दिया। ट्रस्ट अध्यक्ष रवीन्द्र खण्डेलवाल ने बताया कि न्यायालय से ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुना दिया, इसके बावजूद प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की।

पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करने के विरुद्ध एवं अपराधियों को संरक्षण देने के विरोध में गंगापुर सिटी सहित सवाई माधोपुर जिले एवं तहसील स्तर पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान बंद रखने का निर्णय लिया है। अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट धर्मशाला के सामने चल रहे धरने पर निर्णय के अनुसार अग्रवाल समाज संघ जिला अध्यक्ष गोविंद प्रसाद बरनाला ने बताया कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर एवं सरकारी कर्मचारी एक दिन का अवकाश लेकर सभी समाज के बंधु धरना स्थल पहुंचे। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ट्रस्ट की धर्मशाला एवं मंदिर से असामाजिक तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया एवं लाठीचार्ज करने वाले पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राजस्थान बन्द का आव्हान किया जायेगा।

अज्ञात कारणों से घर में आग लगी, लाखों का नुकसान

घरेलू सामान सहित नकदी व आभूषण भी जले

पावटा, (निसं)। कस्बा पावटा ढाणी माच्छावाली नवोदय विद्यालय के पीछे स्थित एक घर में बुधवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से हड़कम्प मच गया। इस घटना में घर गृहस्थी का सामान सहित नकदी व आभूषण जिनकी कीमत करीब तीन लाख रुपए है, जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि परिवार के बच्चे स्कूल और सदस्य बाहर होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई।

आग से घर का सामान जलकर राख हो गया।

यह मामला प्रागपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा पावटा स्थित ढाणी माच्छावाली नवोदय विद्यालय के पीछे मुकेश पुत्र मालीराम के घर का है जहां अचानक आग की लपटें उठने लगीं। खेतों में काम कर रहे परिजनों और पड़ोसियों ने धुआं देखकर तुरंत पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया। वही पावटा प्रागपुरा नगरपालिका फायर बिग्रेड को फोन किया गया। जब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से घर में घरेलू सामान, हाल में फसल बेच कर आए 55 हजार रुपए नकद, करीब एक लाख के आभूषण, कूलर, फ्रिज, पंखे सहित अन्य सामान पूरी तरह जल गया। पीड़ित परिवार को करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पीड़ित मुकेश ने बताया कि जब तक आसपास के लोग निजी नलकूप चलाकर व फायर बिग्रेड आग पर काबू पाते, तब तक सब कुछ जल चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार मजदूरी और खेती करके जीवन यापन कर करता है इस आगजनी से परिवार को आर्थिक रूप बड़ा नुकसान हुआ है जिससे प्रशासन ने गुहार लगाई कि परिवार को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाए। वहीं हल्का पटवारी ने सूचना मिलते ही मौके पर जाकर मौका मुवायना किया।

दो जनों को सात वर्ष का कठोर कारावास

रतनगढ़, (निसं)। थाना रतनगढ़ के 10 वर्ष पुराने प्रकरण 172/245 सरकार बनाम सोनू उर्फ़ सन्नी मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास एक-एक लाख रुपया के जुर्माने का अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक डॉ जयाकांत बिंवाल ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन थानाधिकारी रतनगढ़ छुगसिंह ने 15 जुलाई 2015 को 50 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट साबुत व 500 ग्राम अफीम को अपने क़ब्ज़े में रखने व परिवहन करने के अपराध में गिरफ़्तार किया था। न्यायालय में गवाहों के बयानों में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त गण जितेन्द्र पुत्र राजेंद्र निवासी भूथनकला हरियाणा व सोनू उर्फ़ सन्नी पुत्र सुभाष निवासी झालनिया फतेहाबाद को दोषी मानकर बुधवार को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख का अर्थदंड से दंडित किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक डॉ. जयाकांत बिंवाल ने की।

नकबजन गैंग का पर्दाफाश, दो जने गिरफ्तार

रात्रि के समय मंदिरों व सूने मकानों में चोरी करते थे

बांसवाड़ा, (निसं)। सदर थाना पुलिस ने रात्रि के समय मंदिरों व सूने मकानों में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दर्जनों घटनाओं के खुलासे का दावा किया है।

पुलिस ने नकबजनी गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में हो रही चोरी की वारदातों का पर्दाफाष करने के लिये एएसपी डॉ. राजेश भारद्वाज के सुपरविजन व पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के निकट पर्यवेक्षण में सदर थानाधिकारी बुद्धाराम के नेतृतव में पुलिस टीम गठित की गयी। इस टीम ने गहन अनुसंधान, तकनीकि विश्लेषण, मुखबीर तंत्र एवं आसूचनाएं संकलित करते हुए जिले में अलग-अलग जगहों पर मंदिरों व सुने मकानों में रात्रि के समय नकबजनी व चोरी की घटना के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त किये। पुलिस टीम ने मुखबिरों से लगातार संपर्क में रहते हुए सूचनाएं प्राप्त की वहीं पूर्व में चालानशुदा अपराधियों पर सतत निगरानी रखते हुए उनके मोबाईल नंबरों की सीडीआर प्राप्त कर जांच की। पूर्व में नगबजनी, चोरी व अन्य प्रकरणों में शामिल संदिग्ध रमेश पुत्र रमीया पुत्र भाणजी निनामा निवासी खेरडाबरा को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने सुनील व उसके साथियों के साथ मिलकर 9 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस टीम में थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई, सहायक उपनिरीक्षक रमेशचन्द्र, हैड कांस्टेबल केशवचन्द्र, पुलिस लाईन के हैड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह, सदर थाना के कांस्टेबल मुकेश, राहुल व विजय शामिल रहे।

चार हजार रुपये की रिश्वत लेते लाइनमैन गिरफ्तार

करौली/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की करौली टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएंडएम) जयपुर डिस्कॉम बसेड़ी जिला धौलपुर के नयावास फीडर तकनीकी द्वितीय (लाइनमैन) लोकेश कुमार मीना को परिवादी से उसके पिता के नाम स्वीकृत घरेलू विद्युत कनेक्शन पर स्थापित विद्युत मीटर में अधिक रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में चार हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी की टीम ने लाईनमैन (गोले में) को गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की (कार्यवाहक) पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी की करौली टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके पिता के नाम स्वीकृत घरेलू विद्युत कनेक्शन पर स्थापित विद्युत मीटर की विद्युत उपभोग रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में छह हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। जिस पर एसीबी करौली के पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए लाईनमैन लोकेश कुमार मीना को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

गर्ल्स हॉस्टल के मालिक पर धमकाने का आरोप

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा थाना इलाके के कोरल पार्क में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक गर्ल्स हॉस्टल का मालिक बंदूक लेकर बॉयज हॉस्टल में धमकाने के लिये पहुंचा। जानकारी के अनुसार कोरल पार्क में स्थित बॉयज हॉस्टल के छात्रों ने बालकनी में खड़े होकर केले खाये थे, जिसके छिलके पास में स्थित गर्ल्स हॉस्टल की बालकनी में फेंक दिये। जिसके बाद हॉस्टल में रह रही छात्राओं ने इसकी शिकायत हॉस्टल के मालिक से की। बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है।

बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि बोरखेड़ा इलाके के कोरल पार्क में बॉयज हॉस्टल के पास में गर्ल्स हॉस्टल है। थानाधिकारी ने बताया कि बॉयज हॉस्टल वार्डन महेन्द्र गोचर ने थाने में शिकायत दी थी, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल के मालिक विवेक गर्ग पर आरोप लगाया कि उसने हॉस्टल में घुसकर गन से डराया धमकाया है। इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की गई।

थानाधिकारी ने बताया कि प्रथमदृष्टा से जांच में सामने आया कि छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल की बालकनी में केले के छिल्के फेंके थे जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। विवेक गर्ग के पास लाईसेंसी रिवाल्वर है और वह हमेशा साथ में रखता है। छात्राओं ने सामने वाले हॉस्टल के छात्रों की शिकायत हॉस्टल के मालिक से की थी। इस पर गर्ल्स हॉस्टल संचालक विवेक गर्ग जो बाहर रहते है फिलहाल कोटा आये हुए थे, हॉस्टल को उनकी पत्नी संभालती है। हॉस्टल मालिक विवेक गर्ग छात्रों को समझाने गया था। मामले की जांच की जा रही है।

नवरात्र घट स्थापना की तैयारियां जोरों पर

जयपुर। राजा पार्क स्थित वैष्णो देवी मंदिर पंचवटी सर्किल में इस बार नवरात्रा पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 सितंबर को नवरात्रा घट स्थापना के साथ ही नौ दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

जानकारी के अनुसार मंदिर में नवरात्रे से पहले मंदिर में रंग-रोगन का कार्य चल रहा है और माता की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं घट स्थापना के साथ ही मंदिर के दर्शन खुलेगे। जिसका समय सुबह छह बजे से दोपहर 12 तक और शाम पांच बजे रात दस बजे खुले रहेगे। मंदिर कमेटी उपाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर को रंगीन लाइटों, चुनरी और रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। माता का अनूठा श्रृंगार किया जाएगा। नौ दिनों तक माता को सात से नौ बार नए पोशाक धारण कराए जाएंगे।

मंदिर कमेटी कोषाध्यक्ष इन्द्रजीत शर्मा ने बताया कि पूरे नवरात्र के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम चार से पाँच हजार दोने प्रसादी भक्तों को वितरित की जाएगी। इसमें माता का भोग हलवा,चना और पूडी रहेगा।

मंदिर कमेटी अध्यक्ष राज भाटिया और सचिव राजकुमार भाटिया ने बताया कि यह मंदिर वर्ष 2004 में स्थापित हुआ था। तब से ही यहां माता को साल के 365 दिन सुबह-शाम देशी घी के हलवे और चने का भोग लगाया जाता है और भक्तों में बाँटा जाता है।

इसके अलावा नवरात्रा के अतिरिक्त भी हर दिन माता को दिन में तीन बार नई पोशाक (साड़ी) धारण करवाई जाती है। बाद में ये साड़ियाँ गरीब बच्चियों की शादी में दान की जाती हैं और कुष्ठ आश्रमों व ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाई जाती हैं।

पंजाब के राज्यपाल कटारिया जोधपुर पहुंचे

जोधपुर, (कासं)। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया बुधवार को भगवंतो के दर्शनार्थ चौरड़िया भवन पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव सुमति मुनि मसा आदि ठाणा के दर्शन कर गुरु भगवंतो से बोध प्राप्त कर मांगलिक श्रवण किया। इस अवसर पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का संघ अध्यक्षत देवराज बोहरा में साफा पहनाकर, मंत्री माणकचंद्र ललवानी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।

इस अवसर पर उगमराज कोठारी ने सामायिक उपकरण तथा अशोक बोहरा ने जिनवाणी में आनन्द आवै नामक पुस्तक भेंट कर कटारिया का अभिनंदन किया। रवि बोहरा ने तिलक लगाकर, गौतम खिंवसरा एवं धर्मेश रूटिया ने शाल ओढ़ाकर तथा सुश्रावक प्रसन्नचंद मेहता, जसवंत राज मेहता, प्रकाश भंसाली, राजेन्द्र लुणिया, मुकेशु मुथा, किशोरमल बोहरा, अमृत लालवाणी, पारसमल पालगोता ने माला पहनाकर स्वागत किया। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने संघ के प्रति सद्भावना प्रकट की। इससे पूर्व सुमति मुनि ने आज अपने प्रवचन में बताया कि शरीर की लाचारी को छोड़ कर आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। हमारी कोई गलती बताकर हम पर उपकार कर रहा है। हमारी गलती हो या नहीं हो हमको कर्म क्षय का अवसर प्रदान किया है। हम भाव अपना कर स्थिर रह सकते हैं। हमको जब भी समय मिले हमको प्रतिकुल परिस्थतियों, व्यक्तियों के मध्य रहकर करुणाभाव अपना कर स्थिर रह सकते हैं। साध्वी श्री ने कहा कि जिसको अपने आप बोध होता है वह निसर्ग रुचि है एवं जिनको उपदेश सुन कर धर्म रुचि बढ़े वह अभिगम रुचि है।

किशनगढ़ बास के सरकारी विद्यालयों का न्यायाधीश ने किया निरीक्षण

किशनगढ़ बास, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) जयपुर के निर्देशानुसार न्यायाधीश रनवीर सिंह ने बुधवार को किशनगढ़ बास उपखण्ड क्षेत्र के करीब एक दर्जन सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर स्कूल भवनों की हालत व छात्रों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आशीष यादव व किशनगढ़ बास पुलिस थाना सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार मौजूद रहे। निरीक्षण की सूचना से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में शिक्षकों ने बच्चों को जर्जर कमरों से हटाकर दूसरे कमरों में बैठा दिया और विद्यालयों के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। शिक्षकों के द्वारा अन्य स्कूलों में फोन के माध्यम से सूचना दिए जाने की बात सामने आई तो न्यायाधीश नाराजगी जताई।

> ■ स्कूल भवनों की हालत व छात्रों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था का अवलोकन किया
>
> ■ निरीक्षण के दौरान अधिकतर विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर एवं दयनीय पायी गयी

सरकारी विद्यालयों के भवनों की जर्जर हालत को निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश व टीम ने कैमरे में लिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल के लिपिक हेमराज परेवा ने बताया कि निरीक्षण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप स्कूलों के जर्जर भवनों और छात्रों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था की जांच के उद्देश्य को लेकर न्यायाधीश रनवीर सिंह ने टीम के साथ क्षेत्र के गांव थानाघोड़ा, पड़ासला, मिर्जापुर, रावका, लालपुरी, घांसौली, बृसिंगपुर, सच्चुराम राजपूत की ढाणी सहित 13 सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकतर विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर एवं दयनीय पायी गयी। भवनों की दीवारों में सीलन व दरार पायी गयी साथ ही छत का प्लास्टर उखड़ा हुआ मिला जिनमें बच्चों को पढ़ाया जाना सुरक्षा की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं बताया गया, जो जर्जर और असुरक्षित भवन सबसे बड़ी चिंता का विषय थे। लगभग सभी विद्यालयों के शौचालयों में गंदगी पायी गयी इसके साथ ही बालिकाओं के लिए बने शौचालयों की स्थिति और भी अति दयनीय मिली जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। निरीक्षण में न्यायाधीश ने पाया कि विद्यालयों के जर्जर भवनों में ही विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है इसके लिए अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराई गई है जो किसी गम्भीर दुर्घटना के घटित होने का संकेत दे रही है।

कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा सचिव तथा जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने बुधवार को श्रीडूंगरगढ़ के जैतासर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) किशन दान चारण, एडीपीसी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सहायक निदेशक विक्रम सिंह चौहान सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के रहने-खाने की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं से भी पढ़ाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें तथा सुनिश्चित करें कि बालिकाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि बेटियां खूब मन लगाकर पढ़ें और अपने परिवार और शहर का नाम रोशन करें। प्रभारी सचिव ने नवनिर्मित बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इसकी गुणवत्ता पर संतोष जताया। स्कूल परिसर में उन्होंने पौधारोपण किया तथा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए पौधरोपण की जानकारी ली।

अलापुर में जाति बदलकर फर्जीवाड़े से जमीन खरीदने के मामले की सच्चाई सामने आई

अलवर, (निसं)। आलापुर गांव में जाति बदलकर जमीन खरीदने का मामले की सच्चाई पटवारी की रिपोर्ट के साथ ही सामने आ गई है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट अलवर एसडीएम को भेज दी है, जिसमें उसने दावा किया है कि भूमि खरीददार जीत सिंह एससी का ना होकर ओबीसी का है। जगता बसई के पटवारी प्रेमपाल सिंह राठौड़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पीपली का बास मे निवासी जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह के नाम कई जमीन है, जिनके रिकॉर्ड के मुताबिक जीत सिंह राय सिख है ना कि मजबी सिख इसकी गवाही दर्जनों ग्रामीणों ने पटवारी की रिपोर्ट पर दी है। पीड़ित पक्ष को यह न्याय मीडिया की लगातार खोजपूर्ण खबरों के बाद ही मिल पाना संभव हुआ है। अब एक कड़ी में एक और खरीदारी की जाति रिपोर्ट गोविंदगढ़ के पटवारी की आना बाकी है जैसे ही दूसरी रिपोर्ट आएगी जिला प्रशासन हरकत में आ जाएगा।

> ■ पटवारी की रिपोर्ट ने खोली फर्जीवाड़े की कलाई, तहसीलदार व पटवारी पर गाज गिर सकती है
>
> ■ पटवारी ने अपनी रिपोर्ट अलवर एसडीएम को भेज दी है, जिसमें उसने दावा किया है कि भूमि खरीददार जीत सिंह एससी का ना होकर ओबीसी का है

मामले के अनुसार अलवर तहसील अंतर्गत पडने वाली माचडी पंचायत के गांव अलापुर में जाति बदलकर एससी के गुजरमल पुत्र मवासी की भूमि को ओबीसी के बंजार सिंह और रणजीत सिंह राय सिख ने मजबी सिख बनकर अपने नाम करवा ली थी। मामले को मीडिया ने जोर-शोर से उठाया। बाद में अलापुर निवासी भूमि धारक का पोता ने एक शिकायती पत्र अलवर एसडीएम के सम्मुख पेश कर उन्हें भी इस मामले से अवगत कराते हुए खरीददार जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह राय सिख निवासी पीपली का बास तहसील किशनगढ़ बास और रणजीत सिंह पुत्र नत्था सिंह राय सिख निवासी तहसील लक्ष्मणगढ़ सहित नए खरीदार जाति बदलने वाले तहसीलदार और पटवारी को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए भूमि को वापिस उसी के नाम करवाने की मांग की थी।

क्या लिखा है शिकायती पत्र में :-अलापुर निवासी गुर्जर मल के पोत्र दिनेश कुमार पुत्र किशोरी लाल ने इस संदर्भ में एक शिकायती पत्र अलवर एसडीएम को उनके कार्यालय पहुंच कर सौंपा है, जिसमें उसने बताया है हाल खसरा नम्बर 22 एवं 24 को जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह जाति राय सिख ने प्रथम बार जमीन मालिक गुजरमल पुत्र मवासी जाति जाटव खातेदार से मजबी सिख बनकर एससी की जमीन की खरीद की थी, जिसका नामांतरण संख्या 536 एव 537 निर्णय 31 मई 1990 को स्वीकृत कर जमाबंदी 2045-48 में नामांतरण का नोट अंकन कर दिया गया। नामांतरण में भी जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह की जाति मजहबी सिख दर्ज की गई, जिसने राजस्थान टीनेक्स एक्ट 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया गया है, जिसके बाद से लगातार 2069-2072 खाता संख्या 106 में जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह निवासी पीपली का बास तहसील किशनगढ़ बास अलवर की जाति रिकार्ड में मजबी सिख दर्ज की गई। उस समय तत्कालीन पटवारी नंदकिशोर परेवा हाल आफिस कानूनगो मालाखेड़ा द्वारा जमाबंदी 2069-72 के खाता संख्या 106 को आधार मानते हुए शुद्धि पत्र संख्या 2 दिनांक 14 जून 2018 को अलापुर से रणजीत पुत्र नत्था सिंह जाति राय सिख से मजबी सिख कर दी गई, परन्तु जानबूझकर उसी खाते में दर्ज जीत सिंह पुत्र बंजार सिंह की जाति रायसिख से मजबी सिख करना छोड़ दी गई, जिस कारण जीत सिंह ने पुन: उक्त खसरों का बेचान रेशम कौर पत्नी तारा सिंह जाति राय सिख वगेराह को कर दिया। अगर उसी समय तत्कालीन पटवारी नंद किशोर परेवा शुद्धि पत्र 2 भरते समय हेराफेरी नहीं की होती तो टिनेक्सी एक्ट की धारा 42 की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को की होती तो उक्त खसरों का बेचान रुक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नही किया।

शिकायतकर्ता ने एसडीएम अलवर से मांग की है कि इस भूमि की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा किया गया है एवं फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन पटवारी सहित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए एवं उक्त जमीन को वापिस गुजर मल के नाम दर्ज करवाई जाए।